संख्या-32 / 2017 / सा-324 / दस-2017-301(8) / 2015

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव।
2- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 05 अक्टूबर, 2017

विषयः वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-8 / 2016 / सा-3-179 / दस- 2016- 301 (8) / 2015, दिनांक 28-03-2016 तथा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2016 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना दिनॉक 28-03-2016 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2016 तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हैं।

2- उक्त अधिसूचना द्वारा उ0प्र0 सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद-486 में इस आशय का संशोधन किया गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को यदि सेवानिवृत्ति के उपरान्त नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी है, तो नोशनल पदोन्नति की तिथि से उसका वेतन प्रकल्पित रूप से निर्धारित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि को देय प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जायेगी, परन्तु इस प्रकार स्वीकृत पेंशन नोशनल पदोन्नति के आदेश की तिथि से देय होगी, और इसके पूर्व की अवधि के लिये एरियर अनुमन्य नहीं होगा।

3- शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लाये गये हैं जिनमें नोशनल पदोन्नति के आदेश वित्त विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 28.03.2016 के पूर्व निर्गत हो चुके थे। निदेशक, पेंशन द्वारा इस बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगा गया है कि ऐसे प्रकरणों में

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान नोशनल पदोन्नति के आदेश जारी होने की तिथि से देय होगा अथवा दिनांक 28.03.2016 से अथवा ऐसे प्रकरण अधिसूचना दिनांक 28.03.2016 से आच्छादित होंगे या नहीं ?

4- इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि "दिनांक 28.03.2016 की अधिसूचना के पूर्व सेवानिवृत्ति के उपरान्त हुये नोशनल पदोन्नति के प्रकरण उक्त अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली 2016 से आच्छादित होंगे, परन्तु इन प्रकरणों में प्रकल्पित रूप से निर्धारित अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का लाभ उक्त अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि 28 मार्च, 2016 से देय होगा, तथा इसके पूर्व की अवधि के लिए एरियर अनुमन्य नहीं होगा। इस प्रकार उक्त संशोधन विनियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ, दिनॉक 28 मार्च, 2016 अथवा नोशनल पदोन्नति के आदेश की तिथि, जो बाद में हो से देय होगा।"

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
एम0पी0 अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या-32/2017/सा-324(1)/दस-2017-301(8)/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वॉ तल इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5- समस्त मण्डीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।